



(भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग)
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा,
प्लॉट न० 4-5, सेक्टर 33-बी,
दक्षिण मार्ग, चण्डीगढ़ - 160 020

(Indian Audit & Accounts Department)
Office of the Principal Accountant General
(Audit) Haryana, Plot No.4-5, Sector 33-B,
Dakshin Marg, Chandigarh -160 020



सर्वोच्च न्यायालय
Dedicated to Truth in Public Interest

संख्या:प्रशा० 2/लिप./सूकाज.अधि. 2005/2022-23/6-250/12/8 दिनांक:08.09.2022

सेवा में,

श्री दलजीत सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

विषय:-

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के बारे।

उपरोक्त विषय पर आपका पत्र दिनांक 10.08.2022 जोकि इस कार्यालय में दिनांक 10.08.2022 को प्राप्त हुआ, के सन्दर्भ में बिंदुवार सूचना इस प्रकार है:

क्रम संख्या	मांगी गई सूचना	जवाब
1.	वर्ष 2019 के लिए सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए तैयार किए गए पैन्ल का Base Record, जैसा कि वरिष्ठता सूची, पात्रता की शर्तें व अन्य मापदंड जो भी अपनाये हो, की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं।	बिन्दु 1 में प्रश्नता की शर्तों के संबंध में लेखापरीक्षा अधिकारी के भर्ती नियम 2016 O/o CAG की website पर उपलब्ध हैं। अन्य के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(j) के अंतर्गत सूचना नहीं दी जा सकती है।
2.	पूरी प्रक्रिया की नोटिंग (Noting) की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं।	सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(j) के अंतर्गत सूचना नहीं दी जा सकती है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री विशाल बंसल, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा, चण्डीगढ़ फोन न० 172-2660704, e-mail ID- agauharyana@cag.gov.in. प्रथम अपील दायर करने की वैधता: पत्र प्राप्ति से 30 दिन।

8/9/22
वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन)
(केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी)